न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर0ए0एस0

अपील संख्या :– 82 / 2010 (223 आरटीएक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2010 / 00059

उनवान :–

1. अमित कुमार उम्र करीब 22 वर्ष
2. केतन कुमार उम्र करीब 19 वर्ष

} पुत्रगण श्री विनोद कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट।

बनाम

1. उपेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भारत नगर, सैपऊ जिला धौलपुर।
2. विनोद शर्मा पुत्र श्री नत्थीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौलरी, सैपऊ।
3. मु0 नथिया वेवा रामबाबू
4. ओमप्रकाश
5. श्रीनिवास
6. कैलाशी
7. सुरेश
8. अशोक
9. श्यामसुन्दर

} पुत्रगण रामबाबू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ।

10. मीरा देवी वेवा रज्जो
11. गोविन्दराम पुत्र नत्थीलाल
12. रामेश्वर प्रसाद पुत्र नत्थीलाल

} जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौलारी।

13. प्रेम पुत्री नत्थीलाल पत्नी श्री शक्तिस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कठूमरी भारा तहसील खैरागढ जिला आगरा।
14. रामवती पुत्री नत्थीलाल पत्नी श्री सूर्यनारायण शर्मा निवासी ग्राम भारा तहसील किरावली जिला आगरा।
15. अवधेश कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कंकरेठा अमर उजाला के पीछे तहसील सदर आगरा जिला आगरा उ0प्र0।
16. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तसीमों जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तसीमों।
17. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2010
न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर
प्रकरण उनवानी अमित कुमार बनाम उपेन्द्र
कुमार संख्या 88/2005

अभिभाषकगण :–

1. श्री श्रीगोपाल शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 23.10.2018

1. यह अपील इस न्यायालय में न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.07.2010 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद, वास्ते स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बॅटवारा काश्त, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कोलारी के अभिलिखित खातेदार कृषक वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष स्व0 नत्थीलाल पुत्र किशोरी लाल जाति ब्राहम्ण थे, जो जीवन पर्यन्त विवादित कृषि भूमि पर एकान्तिक रूप से बिना किसी विध्न बाधा के शान्तीपूर्वक उपयोग–उपभोग करते रहें। जिनकी मृत्यु उपरान्त अपने उत्तराधिकारीगण के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को छोडा है। परन्तु वादीगण के बाबा स्व0 नत्थीलाल के निधन के उपरान्त विवादित आराजी का राजस्व अभिलेखो में विरासतन नामान्तकरण स्वीकार करने में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा साजिसन राजस्व कर्मचारियों से साज कर वादीगण का नाम अंकित नहीं कराया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में वादीगण के 1/9 भाग को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कर पृथक से खाता कायम करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया एवं बाद सुनवाई, उक्त वाद तनकी संख्या 03 पर वाद पत्र वादीगण न्यायालय क्षेत्राधिकार में पोषणीय नहीं होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित हैं। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की तनकी संख्या 03 न्यायालय

श्रीमान् के क्षेत्राधिकार के संबंध में है। यह तनकी पूरी तरह विधिक तनकी नहीं है बल्कि तथ्य और विधि के अभिवचनो पर आधारित होकर मिश्रत तनकी है जिसका निर्णय बिना साक्ष्य के होना संभव नहीं है। अधीन न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय बिना साक्ष्य केवल अभिवचनो के आधार पर करके विधि की भूल की है। परिणामतः निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। एक कोपार्सनर द्वारा किये गये अन्तरण को अपने हिस्से तक चुनौती देते हुये धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपने हिस्से तक स्वत्व घोषणा की मांग राजस्व न्यायालय से कर सकता है उसे कथित विलेख को निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है हस्तगत प्रकरण में भी यही स्थिति है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने एवं दावा वादीगण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि विक्रय की दिनांक को विवादित आराजी विक्रेता के नाम थी और यदि विवादित आराजी को संयुक्त परिवार की भूमि भी माना जाये, तो भी कर्ता की हैसियत से खातेदार को विक्रय का अधिकार है। अपीलाण्ट ने विक्रय की दिनांक तक अपने हक को क्लेम नहीं किया है। ऐसी दशा में बिना वयनामा निरस्त कराये वाद पोषणीय नहीं है। पंजीकृत वयनामा को निरस्त कराये जाने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होने के कारण पोषणीय नहीं माना जाकर, वापस किया है, जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर